डिस्कलेमर

आदेश संख्या 39/2022-23 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीडब्ल्यूएफएस/जीएच/सियाल/सीपी-III/2021-26

F. No. AERA/20010/ MYTP/BWFS/GH/CIAL/CP-III/2021-26

***आदेश संख्या* 39/2022-23/**

Order No. 39/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएफएस) के लिए कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोचीन में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में/

IN THE MATTER OF
DETERMINATION OF TARIFF FOR GROUND HANDLING SERVICES FOR BIRD WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED (BWFS) AT COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT, COCHIN FOR THE THIRD CONTROL PERIOD (FY 2021-22 TO FY 2025-26)

जारी करने की तारीख: 12 जनवरी, 2023/

Date of Issue: 12 January, 2023

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

बीडब्ल्यूएफएस के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.8**	प्राधिकरण बीडब्ल्यूएफएस द्वारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** अपनाने का निर्णय लेता है, क्योंकि विनियमित सेवा **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** समझी जाती है।	**09**
अध्याय संख्या 3	**3.9**	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए हवाई यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	**11**
अध्याय संख्या 4.	**4.10**	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	**16**
अध्याय संख्या 5.	**5.10**	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	**22**
अध्याय संख्या 6.	**6.15**	प्राधिकरण बीडब्ल्यूएफएस द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय "नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन उड़ानों" के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक (I, II और III)** के अनुसार टैरिफ दरों और मदवार टैरिफ दर कार्ड को मानने का निर्णय लेता है।	**28**
	6.16	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, इनमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी शामिल है, समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.17	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.18	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I, II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	
	6.19	प्राधिकरण नोट करता है कि मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग रियायत (बढ़ी हुई अवधि के साथ) 31.08.2024 तक ही वैध है। इसलिए हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा रियायत की अवधि 31.08.2024 के बाद आगे बढ़ाए जाने पर ही वित्त वर्ष 2024-25 (01.09.2024 से 31.03.2025 तक) और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपर्युक्त प्रस्तावित टैरिफ लागू होगी।	
	6.20	प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि बीडब्ल्यूएफएस नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या 24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कोचीन हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 : आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और बीडब्ल्यूएफएस द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं **"मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी"** है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ **16.01.2023** से रियायत करार की वैधता तक प्रभावी होगी। इस आदेश के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए टैरिफ हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा मौजूदा रियायत करार (31.08.2024 को समाप्त हो रहे) की अवधि बढ़ाए जाने की शर्त पर लागू होगी।

(iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I,II और III**) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय "नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों" के लिए टैरिफ, इसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी सम्मिलित है, समान श्रेणी के विमान(नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(v) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(vi) इसमें निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vii) बीडब्ल्यूएफएस ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार कोचीन हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,
ई-9 कनॉट हाऊस, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली -110001
[मार्फत : श्री संदीप कुमार जैन, मुख्य वाणिज्य अधिकारी]

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. प्रबंध निदेशक, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कोच्चि -683111 (केरल)